भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2128
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

पोषण अभियान

2128. श्री राम शिरोमणि वर्माः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे आकांक्षी और सीमावर्ती जिलों में महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त जिलों में कुपोषण और एनीमिया की रोकथाम के लिए पोषण अभियान और अन्य योजनाओं के तहत विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो उनमें कुपोषण और एनीमिया की दर में आई कमी का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का उक्त जिलों से कुपोषण और एनीमिया को समाप्त करने के लिए कोई नई समयबद्ध कार्ययोजना लागू करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के तहत 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लीकेशन शुरू किया है। यह आईसीटी-आधारित शासन

उपकरण है जिसका उपयोग अलग-अलग पैमानों पर सभी लाभार्थियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिलों में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण से जुड़े आंकड़े 'पोषण ट्रैकर' के सार्वजनिक डैशबोर्ड https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती एवं बलरामपुर जिलों में महिलाओं तथा बच्चों में रक्ताल्पता की व्याप्तता का विवरण निम्नानुसार है :–

संकेतक	**राष्ट्रीय औसत (%)**	**बलरामपुर (%)**	**श्रावस्ती (%)**
6-59 माह के बच्चे जो एनीमिक हैं (<l1.0 जी/डीएल) (%)	67.1	75.4	61.2
15-49 वर्ष की वो महिलाएं जो गर्भवती नहीं है और जिन्हें रक्ताल्पता है (<12.0 g/dl) (%)	57.2	54.8	44.6
15-49 वर्ष की गर्भवती महिलाएं जो रक्ताल्पता से पीड़ित हैं (<11.0 g/dl) (%)	52.2	38.1	41.0
15-49 वर्ष की सभी महिलाएं जो रक्ताल्पता से पीड़ित हैं (%)	57.0	53.7	44.4

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुपोषण और रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए निम्नलिखित अभियान चलाए जा रहे हैं:

- संभव अभियान: चार महीने का एक गहन अभियान (जुलाई-सितंबर) है जो गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित बच्चों की पहचान, समुदाय-आधारित प्रबंधन और रेफरल पर केंद्रित है।

- पोषण-500 पहल: मातृ, शिशु और बच्चों के अधिकतम पोषण के लिए जीवन के पहले 500 दिनों को कवर करने वाला एक मुख्य कार्यकलाप।

- "6 माह, 7 बार"कार्यनीति: नियमित रूप से गृह दौरे, देखभाल करने वालों की परामर्श, स्तनपान सहायता और समय-समय पर विकास निगरानी के माध्यम से छह माह से कम आयु के शिशुओं के लिए एक लक्षित पहल।

- पोषण माह और पोषण पखवाड़ा अभियान: बेहतर पोषण के लिए सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान चलाए गए। ये अभियान मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों की आहार प्रथाओं, विकास निगरानी, रक्ताल्पता की रोकथाम, साफ़-सफाई और स्वच्छता, पोषण जागरूकता और समुदाय-आधारित गतिविधियों और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य विभागों के बीच समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- सामाजिक सुरक्षा नेट लिंकेज: कुपोषण के मुख्य कारकों का समाधान करने के लिए कुपोषित बच्चों के परिवारों को खाद्य सुरक्षा, वॉश (जल, साफ़-सफाई और स्वच्छता) सेवाएं और आजीविका सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) रणनीति को जीवन-चक्र दृष्टिकोण के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देशभर में किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के समाधान हेतु विभिन्न कार्यकलाप किए जा रहे हैं। इनका विवरण निम्नानुसार हैः

- एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सुदृढ़ संस्थागत तंत्र के माध्यम से 7×7×7 रणनीति अपनाकर सात लाभार्थी आयु वर्गों को सम्मिलित करते हुए सात प्रमुख कार्यकलापों के माध्यम से रक्ताल्पता की उच्च व्यापतता को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- पोषण पुनर्वास केंद्र के माध्यम से चिकित्सीय जटिलताओं से ग्रस्त मध्यम एवं गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को भर्ती कर चिकित्सा एवं पोषण संबंधी देखभाल उपलब्ध कराई जाती है।
- 'मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन' कार्यक्रम के माध्यम से स्तनपान की दर एवं कवरेज में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है।
- लैक्टेशन प्रबंधन केंद्रों के माध्यम से नवजात गहन चिकित्सा इकाइयों तथा विशेष नवजात देखभाल इकाइयों में भर्ती बीमार, समयपूर्व जन्मे तथा कम जन्म भार वाले

शिशुओं के पोषण हेतु सुरक्षित एवं पाश्चुरीकृत दाता मानव दुग्ध की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अंतर्गत मृदा जनित कृमि संक्रमण को कम करने के उद्देश्य से एल्बेंडाजोल की गोलियां प्रदान की जाती हैं।
- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का आयोजन मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है।

वर्ष 2021 में विश्व बैंक द्वारा बच्चों में बौनेपन तथा महिलाओं में रक्ताल्पता के सर्वाधिक भार वाले 11 प्राथमिकता वाले राज्यों में पोषण अभियान पर एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में सेवाओं के वितरण तथा पोषण संबंधी व्यवहारों—दोनों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020 में नीति आयोग द्वारा पोषण अभियान का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन किया गया और देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए इसकी प्रासंगिकता को संतोषजनक पाया गया। इसके उपरांत, वर्ष 2025 में भारत सरकार के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय, नीति आयोग द्वारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 का परिणाम-आधारित मूल्यांकन अध्ययन भी किया गया। अध्ययन से प्राप्त साक्ष्यों से यह परिलक्षित हुआ कि वर्तमान स्वरूप में मिशन पोषण 2.0, पूर्ववर्ती कार्यक्रमों के अनुभवों पर आधारित तालमेलयुक्त एवं सुदृढ़ दृष्टिकोण अपनाते हुए, कुपोषण से समग्र रूप से निपटने तथा बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का नवीनतम एवं व्यापक प्रयास है।
